**2017 का विधेयक संख्यांक 60**

[दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

# माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017

**संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसरण में माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के मद्दे उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों हेतु प्रतिकर का उपबंध करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

**2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "केन्द्रीय कर" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत और संग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(ग) "उपकर" से धारा 8 के अधीन उद्‌गृहीत माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रतिकर" से धारा 7 के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर के रूप में यथा अवधारित कोई रकम अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिषद" से संविधान के अनुच्छेद 279क के उपबंधों के अधीन गठित माल और सेवा कर परिषद अभिप्रेत है ;

(च) "निधि" से धारा 10 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर प्रतिकर निधि अभिप्रेत है ;

(छ) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "कर निवेश" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) उसे किए गए मालों या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित उपकर ;

(ii) मालों के आयात पर प्रभारित उपकर और इसके अंतर्गत उलट दिए जाने वाले प्रभार के आधार पर संदेय उपकर भी है ;

(ज) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(झ) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत और संग्रहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन परिषद की सिफारिशों पर बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया अभिप्रेत है ;

(ट) "प्रक्षेपित विकास दर" से धारा 3 के अनुसार संक्रमणकालीन अवधि के लिए प्रक्षेपित विकास की दर अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य" से,--

(i) धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य अभिप्रेत है ; और

(ii) धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन

यथा परिभाषित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ढ) "राज्य कर" से अपने-अपने राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत राज्य माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" से संबद्ध राज्य द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है ;

(त) "कराधेय प्रदाय" से मालों या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन उपकर से प्रभार्य है ;

(थ) किसी राज्य के संबंध में "संक्रमणकालीन तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको संबद्ध राज्य में राज्य माल और सेवा कर अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(द) "संक्रमणकालीन अवधि" से संक्रमणकालीन तारीख से पांच वर्ष की अवधि अभिप्रेत है ; और

(ध) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु इसमें परिभाषित नहीं है, अपितु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनका है ।

प्रक्षेपित विकास दर ।

**3.** संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए सम्मिलित की गई राजस्व की प्रक्षेपित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

आधार वर्ष ।

**4.** संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में संदेय प्रतिकर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाएगा ।

आधार वर्ष राजस्व ।

**5.** (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान, संबद्ध राज्य या संघ द्वारा उद्ग्रहीत करों के मद्दे संग्रहीत राजस्व और संबद्ध राज्य या संघ द्वारा अधिरोपित निम्नलिखित करों, जिन्हें माल और सेवा कर में सम्मिलित कर लिया गया है, के संबंध में प्रतिदायों के शुद्ध का योग होगा, अर्थात् :--

(क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, संकर्म संविदा पर संग्रहीत कर या संबद्ध राज्य द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्यसूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन उद्ग्रहीत कोई अन्य कर ;

1956 का 74

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय विक्रय कर ;

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – 2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्ग्रहीत प्रवेश कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या कोई अन्य कर ;

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – 2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्ग्रहीत भोग-विलास की वस्तुओं पर कर, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, दाव लगाने और जुआ खेलने पर कर, या कोई अन्य कर भी हैं;

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – 2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्ग्रहीत विज्ञापन पर कर या कोई अन्य कर

(च) संघ द्वारा उद्ग्रहीत औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क, किन्तु संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 268 के अधीन सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत और प्रतिधारित शुल्क ;

(छ) उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अधीन उद्ग्रहणीय कोई उपकर या अधिभार या फीस,

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रारंभ से पूर्व :

परंतु निम्नलिखित करों के अधीन, किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान, संग्रहीत राजस्व, प्रतिदायों का शुद्ध योग उस राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – 2 (राज्य सूची) की तत्कालीन सूची 54 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कोई कर;

(ख) कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उद्गृहीत कर ; 1956 का 74

(ग) कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित कुल उपकर; और

(घ) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों का प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – 2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत, किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहीत मनोरंजन कर ।

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में आधार वर्ष राजस्व में आधार वर्ष के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के विक्रय पर संग्रहीत कर की रकम सम्मिलित होगी ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (6) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे विनिर्दिष्ट करों के सम्बन्ध में, राज्य में औद्योगिक विनिधान का संवर्धन करने के लिए उक्त राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों या परिहार के कारण छोड़ दिए गए राजस्व की रकम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की जाएगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे अधिनियम, जिनके अधीन विनिर्दिष्ट कर माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जा रहे हैं, उस रूप में अधिसूचित किए जाएंगे ।

(5) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित आधार वर्ष राजस्व उस वर्ष में संग्रहीत राजस्व के आँकड़ों और उस वर्ष में दिए गए प्रतिदायों के शुद्ध योग के आधार पर उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार सम्मिलित किया जाएगा ।

(6) किसी राज्य के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग सम्बन्धित राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा ।

किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व ।

**6.** राज्य में किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर प्रक्षेपित वृद्धि-दर को लागू करके संगणित किया जाएगा ।

**दृष्टांत** : यदि धारा 5 के अनुसार संगणित सम्बद्ध राज्य के लिए 2015-16 के लिए आधार वर्ष राजस्व एक सौ रूपए है तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रक्षेपित राजस्व निम्नानुसार होगा :

2018-19 के लिए प्रक्षेपित राजस्व $= 100(1+14/100)^3$

प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना ।

**7.** (1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, किसी राज्य को संदेय होगा ।

(2) राज्य को संदेय प्रतिकर प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से संगणित और जारी किया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अंतिम रूप से संगणित किया जाएगा ।

परंतु यदि, संग्रहीत राजस्व के संपरीक्षित आँकड़ों के अनुसार, संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को प्रतिकर के रूप में कोई अधिक रकम जारी

की गई है तो इस प्रकार जारी की गई रकम पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसे राज्य को संदेय प्रतिकर रकम के प्रति समायोजित की जाएगी ।

(3) किसी राज्य को संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा प्रक्षेपित राजस्व, जो माल और सेवा कर के अभाव में राज्य को प्रोद्भूत हुआ हो, धारा 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा;

(ख) संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा संग्रहीत वार्षिक राजस्व भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित रूप में निम्नलिखित होगा –

(i) राज्य द्वारा संग्रहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन उक्त राज्य द्वारा दिए गए प्रतिदायों का शुद्ध योग;

(ii) उस राज्य के लिए एकीकृत माल और प्रभाजित सेवा कर ; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, सम्बन्धित राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों के मद्दे करों का कोई संग्रहण, ऐसे करों के प्रतिदायों का शुद्ध योग ;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में संदेय कुल प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य द्वारा संग्रहीत वास्तविक राजस्व के बीच का अन्तर होगा ।

(4) संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए किसी वर्ष में प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर राजस्व की हानि की निम्नलिखित रीति में उक्त अवधि की समाप्ति पर संगणना की जाएगी, अर्थात् :--

(क) प्रक्षेपित राजस्व, जो सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक माल और सेवा कर के अभाव में राज्य द्वारा उपार्जित किया गया होता, धारा 6 के अनुसार, संगणित संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आशयित राजस्व की प्रतिशतता के रूप में यथा अनुपात आधार पर संगणित किया जाएगा ;

**दृष्टांत** : यदि धारा 6 के अनुसार, संग्रहीत किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व, ऐसे प्रक्षेपित राजस्व, जो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 10 मास की अवधि की समाप्ति तक उपार्जित किया जा सकता है, की संगणना करने के लिए एक सौ रूपए है, 100x(5/6)=83.33 रूपए) होगा ;

(ख) राज्य द्वारा संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि तक संग्रहीत वास्तविक राजस्व--

(i) राज्य द्वारा संग्रहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल

और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन राज्य द्वारा दिए गए प्रतिदायों का शुद्ध योग होगा;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा यथा प्रमाणित, उस राज्य के लिए एकीकृत माल और प्रभाजित सेवा कर होगा; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, उक्त राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों का कोई संग्रहण, ऐसे करों के प्रतिदाय का शुद्ध योग होगा ।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति पर किसी राज्य को संदेय अनन्तिम प्रतिकर खण्ड (क) के अनुसार, सुसंगत अवधि की समाप्ति तक प्रक्षेपित राजस्व और खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट उक्त अवधि में राज्य द्वारा संग्रहीत वास्तविक राजस्व के बीच का अन्तर ऐसा होगा, जो संक्रमणकालीन अवधि के दौरान उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्व दो मास की अवधि की समाप्ति तक राज्य को संदत्त अनन्तिम प्रतिकर को घटा कर आए ।

(5) भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक से संपरीक्षित राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति पर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, संगणित राज्य को संदेय अन्तिम प्रतिकर की रकम के बीच अन्तर की दशा में और उपधारा (4) की उपबन्धों के अनुसार, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को जारी कुल अनन्तिम प्रतिकर रकम, उसे पश्चात् वित्तीय वर्ष में राज्य को प्रतिकर के जारी किए जाने के प्रति समायोजित किया जाएगा ।

(6) जहां किसी वित्तीय वर्ष में कोई प्रतिकर जारी किया जाना है और यदि पूर्ववर्ती वर्ष में किसी राज्य को कोई अधिक राशि जारी की गई है तो वहां यह रकम केन्द्रीय सरकार को राज्य द्वारा वापस लौटा दी जाएगी और ऐसी रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निधि में जमा की जाएगी ।

उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

**8.** (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में किए गए उपबन्ध अनुसार, माल या सेवा या दोनों के ऐसे अन्तरराज्यीय प्रदायों पर और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में उपबन्ध किए गए अनुसार, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे अन्तरराज्यीय प्रदायों पर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा और उस तारीख से, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो परिषद की सिफारिश पर विहित की जाए, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए परिषद की सिफारिशों पर, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संग्रहीत किया जाएगा :

परंतु ऐसा कोई उपकर, ऐसे किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जिसने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्रण उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने का विनिश्चय किया है, किए गए प्रदाय पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा ।

(2) उपकर माल और सेवाओं के ऐसे प्रदायों पर, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवर्णित दर से

अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करे, ऐसे मूल्य, मात्रा के आधार पर या ऐसे आधार पर उद्ग्रहीत किया जाएगा :

परंतु जहां उपकर ऐसे प्रत्येक प्रदाय के लिए माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर उनके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य है, वहां मूल्य माल या सेवाओं या दोनों के सर्व अन्तरराज्यीय और अन्तरराज्यीय प्रदायों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि भारत में आयातित माल पर उपकर उस बिन्दु पर, जहां सीमा-शुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अवधारित मूल्य पर, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहीत किया जाता है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार, उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा। 1975 का 51 1962 का 52

विवरणियां, संदाय और प्रतिदाय ।

**9.** (1) माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करने वाला प्रत्येक कराधेय व्यक्ति--

(क) ऐसी रीति में इस अधिनियम के अधीन यथा संदेय उपकर की रकम का संदाय करेगा ;

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के साथ ऐसे प्ररूप में ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा ; और

(ग) ऐसे प्ररूप में, ऐसे संदत्त उपकर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेगा, जो विहित किया जाए ।

(2) फाइल किए जाने वाले प्ररूप के सिवाय, विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और प्रतिदायों का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, यथाशक्य, माल या सेवाओं या दोनों के सभी कराधेय प्रदायों पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे प्रदायों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

उपकर के आगमों का निधि में जमा करना ।

**10.** (1) धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के आगम और ऐसी अन्य रकम, जो परिषद द्वारा सिफारिश की जाए, माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में ज्ञात गैर व्यपगतीय निधि होगी, जो भारतीय लोक लेखा का भाग रूप होगी, में जमा किए जाएंगे और उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाएंगे ।

(2) धारा 7 के अधीन राज्यों को संदेय सभी कर निधि में संदत्त किए जाएंगे ।

(3) संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति पर निधि में शेष बचे अनुपयोजित पचास प्रतिशत रकम केन्द्र के शेयर के रूप में भारत की संचित निधि में अन्तरित कर दी जाएगी और अतिशेष पचास प्रतिशत संक्रमणकालीन अवधि के अन्तिम वर्ष में यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से उनके कुल राजस्व के अनुपात में

राज्यों के बीच वितरित की जाएगी ।

(4) निधि से सम्बन्धित लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में कोई व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होंगे ।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निधि के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

उपकर से संबंधित अन्य उपबंध ।

**11.** (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, निवेश कर प्रत्यय, उद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों, शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, जहां तक हो सके, माल और सेवा के अन्तरराज्यीय प्रदाय पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन माल और सेवा के ऐसे अन्तरराज्यीय प्रदायों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

(2) एकीकृत केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, निवेश कर प्रत्यय और उद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों, शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, माल और सेवा के अन्तरराज्यीय प्रदाय पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन माल और सेवा के ऐसे अन्तरराज्यीय प्रदायों पर एकीकृत कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं । :

परंतु धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं के प्रदाय पर उपकर के सम्बन्ध में निवेश कर प्रत्यय उक्त धारा के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं के प्रदाय पर उक्त उपकर के संदाय के लिए ही उपयोग किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

**12.** (1) केन्द्रीय सरकार परिषद की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) ऐसी शर्तें, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट राज्यों के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की गई थी ;

(ख) ऐसी शर्तों, जिनके अधीन रहते हुए सम्बन्धित राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किए गए राजस्वों का कोई भाग धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा

प्रतिकर के प्रतिदाय की रीति ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा उसके अधिरोपन की अवधि ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के संदाय के लिए, विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने के लिए तथा उपकर के प्रतिदाय के लिए रीति और प्ररूप ; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इन नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिनके सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना है ।

संसद के समक्ष नियमों का रखा जाना ।

**13.** इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों से तुरन्त पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, ऐसा नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं होगी; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

**14.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार परिषद की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं :

परंतु कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

# अनुसूची

**(धारा 8(2) देखिए)**

1. इस अनुसूची में "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" के प्रतिनिर्देश, जहां-जहां वे आते हैं का वहीं अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय में क्रमशः उनका है ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए, नियम, भाग और अध्याय टिप्पण तथा पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन के लिए लागू होंगे,--

| क्र. सं. | माल या सेवाओं के प्रदाय का वर्णन | टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, अध्याय या यथास्थिति, माल या सेवाओं का प्रदाय | वह अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर संग्रहीत किया जा सकेगा |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | पान मसाला | 2106 90 20 | एक सौ पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 2. | तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्पों, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू उत्पाद भी हैं | 24 | चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि या दो सौ नब्बे प्रतिशत मूल्यानुसार या उसका समुच्चय, किन्तु एक हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि जमा दो सौ नब्बे प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक नहीं |
| 3. | कोयला, इष्टिकाओं, अण्डाभों और वैसे ही कोयला, लिग्नाइट, चाहे संपिण्डित है या नहीं, जिसके अन्तर्गत जैट नहीं है, पीट (जिसके अन्तर्गत पीट तृणशैय्या भी है) चाहे संपीण्डित है या नहीं, से विनिर्मित ठोस ईंधन, | 2701, 2702 या 2703 | चार सौ रुपए प्रति टन |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 4. | वातित जल | 2202 10 10 | पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 5. | व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रमुखतः अभिकल्पित मोटर कार और अन्य मोटर यान (चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर से भिन्न), जिसके अन्तर्गत स्टेशन वैंगन और दौड़ कार भी हैं | 8703 | पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 6. | कोई अन्य प्रदाय | | पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार |

# उद्देश्यों और कारणों का कथन

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के मद्दे उद्भूत होने वाले राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर के संदाय का उपबंध करता है ।

2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 में देश ने माल और सेवा कर के प्रारंभ को सुकर बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया है । संविधान में किए गए संशोधन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायों पर माल और सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए विधियाँ बनाने हेतु संसद और राज्य विधान-मंडलों पर समकालिक शक्तियां प्रदत्त करते हैं । संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 में यह उपबंध है कि, "संसद माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, विधि द्वारा, पांच वर्ष की अवधि के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के मद्दे उद्भूत होने वाले राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबंध करेगी ।"।

3. अन्य बातों के साथ, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(क) यह उपबंध करना कि वित्त वर्ष 2015-16 राज्यों को संदेय प्रतिकर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा;

(ख) प्रतिकारित किए जाने वाला राजस्व राज्यों द्वारा उद्गृहीत सभी ऐसे करों से प्राप्त राजस्वों से मिलकर बनेगा जिन्हें अब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित, माल और सेवा कर के अधीन सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ग) संग्रमणकालीन अवधि के दौरान राज्य के लिए सम्मिलित किए गए राजस्व की प्रक्षेपित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी;

(घ) यह उपबंध करना कि प्रतिकर केंद्रीय लेखा प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से दिए गए आंकड़ों के संबंध में द्वैमासिक जारी किया जाएगा और अंतिम समायोजन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा करवाने के उपरांत किया जाएगा ;

(ङ) यह उपबंध करना कि संविधान के अनुच्छेद 279क में निर्दिष्ट ग्यारह विशेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में, राज्यों द्वारा मंजूर किए गए करों की छूट के मद्दे छोड़ दिया गया राजस्व आधार वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व की परिभाषा के लिए गिना जाएगा ;

(च) राज्यों के ऐसे राजस्व, जो राज्यों की संचित निधि में जमा नहीं किए गए थे, किंतु उन्हें सीधे ही "मंडी" या "नगरपालिकाओं" को न्यागत कर दिया गया था, भी 'सम्मिलित राजस्व' की परिभाषा में सम्मिलित किए जाएंगे, यदि इन्हें संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के प्राधिकार के

अधीन संगृहीत किया गया था तथा माल और सेवा कर में सम्मिलित किया गया था ;

(छ) माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उनके द्वारा उठाई गई राजस्व की किसी हानि के लिए पांच वर्ष तक राज्यों को प्रतिकारित करने हेतु संसाधन उत्पन्न करने के लिए, उस मद पर माल और सेवा कर के अलावा, माल और सेवा कर परिषद् द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, ऐसे माल पर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा ;

(ज) माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर के आगम लोक लेखा में माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के नाम से ज्ञात गैर-व्यपगतीय निधि में जमा किए जाएंगे तथा माल और सेवा कर प्रतिकर के रूप में राज्यों को संदेय सभी रकमें माल और सेवा कर प्रतिकर निधि से संदत्त की जाएंगी ; और

(झ) पांच वर्ष की प्रतिकर अवधि के पश्चात् प्रतिकर निधि में रह गई कोई अवशिष्ट रकम केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से सांझा की जाएगी । संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति पर माल और सेवा कर प्रतिकर निधि में शेष अनुपयोजित रकम का पचास प्रतिशत केंद्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित किया जाएगा और अतिशेष पचास प्रतिशत संक्रमणकालीन अवधि के अंतिम वर्ष में, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से प्राप्त उनके कुल राजस्वों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच वितरित किया जाएगा ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली;** **अरुण जेटली**

**23 मार्च, 2017**

# वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 10 यह उपबंध करने के लिए है कि माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर के आगम और साथ ही ऐसी अन्य रकमें जो माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की जाएं, माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में ज्ञात गैर-व्यपगतीय निधि में जमा की जाएंगी, जो भारत की लोक लेखा का भाग होंगी और विधेयक के खंड 8 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएंगी । विधेयक के खंड 10 का उपखंड (3) यह उपबंध करने के लिए है कि संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति पर माल और सेवा कर प्रतिकर निधि में शेष अनुपयोजित रकम का पचास प्रतिशत भारत की संचित निधि में केंद्र के भाग के रूप में अंतरित किया जाएगा और अतिशेष पचास प्रतिशत संक्रमणकालीन अवधि के अंतिम वर्ष में, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से उनके कुल राजस्वों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच वितरित किया जाएगा ।

2. चूंकि केंद्रीय माल और सेवा कर दर इस प्रकार नियत की जाएगी जिससे माल और सेवा कर के अधीन सम्मिलित किए जा रहे अप्रत्यक्ष करों से केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्वों की संरक्षा की जा सके, संघ सरकार को किसी ऐसे राज्य को प्रतिकारित करने के लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता होगी जो माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के मद्दे राजस्व संग्रहण में गिरावट का सामना करे । इस प्रकार, विधेयक का खंड 8 ऐसे माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर का उद्ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, जिसके आगमों का राज्यों को माल और सेवा कर प्रतिकर के संदायों के लिए प्रत्यक्षतः उपयोग किया जाएगा ।

# प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर राज्य के आधार वर्ष राजस्व की संगणना करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (3) केंद्रीय सरकार को ऐसी शर्तें विहित करने के लिए सशक्त करता है, जिनके अधीन रहते हुए उक्त राज्य में औद्योगिक विनिधान का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों या परिहार के मद्दे छोड़ दिए गए राजस्व की रकम संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट राज्यों की बाबत, राज्यों के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की जाएगी । खंड 5 का उपखंड (6) केंद्रीय सरकार को ऐसी शर्तें विहित करने के लिए सशक्त करता है जिनके अधीन रहते हुए, राजस्वों का ऐसा कोई भाग, जो राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया गया है, संबद्ध राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा ।

2. विधेयक का खंड 7 राज्य को माल और सेवा कर प्रतिकर रकम की संगणना करने और उसे जारी करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है । खंड 7 का उपखंड (6) राज्य द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रतिकर के प्रतिदाय की रीति विहित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है, यदि उक्त राज्य को आधिक्य माल और सेवा कर प्रतिकर का संदाय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ।

3. विधेयक का खंड 8 माल और सेवाओं के कतिपय प्रदायों पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर उद्गृहीत करने के लिए है । खंड 8 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा उसके अधिरोपण की अवधि को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ।

4. विधेयक का खंड 9 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक कराधेय व्यक्ति उपकर का संदाय करेगा, विवरणियां प्रस्तुत करेगा और किसी शोध्य प्रतिदाय के लिए आवेदन करेगा । खंड 9 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को उपकर के संदाय के लिए, विवरणियों को प्रस्तुत करने तथा उपकर के प्रतिदाय के लिए रीति और प्ररूप विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में अधिसूचनाएं विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार जारी की जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं तथा विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।



GMGIPMRND—5429LS(CRC)—23-3-2017.

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) वधेयक, 2017 का शु द्धपत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़ें |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | “केन्द्रीय कर” से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अ धनियम | “केन्द्रीय कर” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अ धनियम |
| 2 | 14 | “कर निवेश” | “निवेश कर” |
| 4 | 34 | कुल | कोई |
| 5 | 1 | का | के |
| | “नियंत्रक महालेखापरीक्षक” के स्थान पर “नियंत्रक-महालेखापरीक्षक” पढ़ें । | | |
| 5 | 33 | वत्त | वत्तीय |
| 5 | 36 | अ धक | आ धक्य |
| 6 | 9 | संग्रहीत वा र्षक राजस्व भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक | संग्रहीत वास्त वक राजस्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक |
| 6 | 27 | आशयित | प्रेक्ष पत |
| 6 | 30 | 10 | दस |
| 6 | 34 | अव ध तक | अव ध की समाप्ति तक |
| 7 | 18 | पश्चात् | पश्चातवर्ती |
| 7 | 21 | अ धक | आ थक्य |
| 8 | 32 | में संदत्त | में से संदत्त |
| 9 | 10 | उद्ग्रहण | अउद्ग्रहण |
| 9 | 13 | अ धनियम के | अ धनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के |
| 9 | 17 | और उद्ग्रहण | अउद्ग्रहण |
| 9 | 20 | अ धनियम के | अ धनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के |
| 10 | 8 | जिनके | जिसके |
| 10 | 19 पार्श्वशीर्ष | कठिनाइयों | कठिनाईयों |
| 13 | 6 | में देश ने माल | ने देश में माल |
| 13 | 17 | माना | लया |
| 13 | 22 | संग्रमणकालीन | संक्रमणकालीन |